

13.	12/2019	टाटा-709 ट्रक	JH-11D-3795	गावां प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
14.	13/2019	टाटा-407 ट्रक	JH-11C-0307	गावां प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
15.	27/2019	ट्रैक्टर टेलर	HMT 3322	तिसरी थाना परिसर
16.	31/2018	सोनालिका ट्रैक्टर टेलर	Model- DI35, Eng. No. 3100FL531518227F3, Chassis No. KZISU523982SM	लोकायनयनपुर थाना परिसर
17.	25/2019	टैम्पु	JH-11J-1440	प्रमंडलीय कार्यालय परिसर
18.	32/2019	स्वराज ट्रैक्टर टेलर	Model- 735, Eng. No. 391331/EH004009, Chassis No. QRTL30605024802	तिसरी थाना परिसर

12/4/19
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

12/4/19



झारखण्ड सरकार
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

अल्पकालिन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अंतिम रूप से अधिहरित (CONSFISCATED) वाहनों को जहाँ है तथा जिस स्थिति में है कि आधार पर बिक्री के लिए मुहरबंद लिफाफे में निविदा द्वारा बिक्री की शर्तें निम्नवत है :-

1. किसी भी वाहन के लिए उच्चतम मूल्य/उच्चतम निविदा की राशि स्वीकार करने के लिए अधोहस्ताक्षरी वाध्य नहीं हैं और उसे बिना कोई कारण बताये बिक्री से उठा लेने या रद्द करने के लिए सक्षम होंगे।
2. अगर सफल निविदा-दाता निर्धारित समय के अन्दर पूरी राशि जमा नहीं कर पाते हैं, तो उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन एवं जमानत राशि अथवा अन्य जमा राशि बिना कोई कारण बताये forfeit कर ली जायगी।
3. असफल निविदा-दाताओं को अग्रधन की राशि निविदा पर अन्तिम निर्णय के पश्चात तुरत वापस कर दिया जायगा।
4. सफल निविदा-दाता द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि वाहन के मूल्य में समायोजित कर दी जायगी।
5. इच्छुक निविदा-दाता निविदा देने के पूर्व किसी भी दिन कार्यालय अवधि में वाहन का उनके स्थान पर निरीक्षण कर सकते हैं।
6. निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में 100/- (एक सौ) रुपये जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगे।
7. निविदा-दाता डाक द्वारा भी निविदा भेज सकते हैं। वशर्त कि विहित प्रपत्र में निविदा अग्रधन की राशि सहित पूरी तरह मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक-05.05.2022 को 2.30 बजे अपराहन के पहले कार्यालय में प्राप्त हो जाये।
8. सफल निविदा-दाता के द्वारा प्रस्तावित मूल्य सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त वाहन उनके पक्ष में मुक्त/ हस्तांतरित की जायगी।
9. बिक्री की जाने वाली वाहनों की सूची में उल्लेखित अधिहरित (Confiscated) वाहन पर किसी भी व्यक्ति को यह आपत्ति हो कि सुनवाई किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो वे सूचना प्रकाशन के दो दिनों के अन्दर अपना यह दावा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रमाण पत्र/शपथ पत्र के साथ कार्यालय अवधि में प्रस्तुत करेंगे।
10. यदि सूचना प्रकाशन के उपरान्त उक्त निर्धारित तिथि तक अधिहरित (Confiscated) वाहनो पर कोई दावा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होगा तो यह समझा जायगा कि किन्ही को अधिहरित (Confiscated) वाहन की निविदा द्वारा बिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
11. निविदा द्वारा बिक्री किये जाने के पश्चात किसी भी वाहन पर प्रस्तुत दावा मान्य अथवा स्वीकार्य नहीं होगा।
12. इस बिक्री से संबंधित कोई भी न्यायिक मामला झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय मे ही किया जा सकेगा।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।